उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्रांकः– सी-03 /स्थापना/विविध–2 पत्रा0/24–25 दिनांकः 09-04-2024

समस्त शाखा/वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायती पत्रों को शासनादेश संख्या 13/1/97–का–1/1997 दि0 09.05.1997 एवं शासनादेश संख्या 13/1/97–का–1/1997 दि0 01.08.1997 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निस्तारण किये जाने हेतु बैंक परिपत्र संख्या सी–22/स्थापना/विविध/21–22 दिनांक 26.11.2021 द्वारा निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की गयी है–

1–विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व, सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर यह पुष्टि करा ली जाये कि पत्र उन्हीं के द्वारा हस्ताक्षरित है और शिकायतों के सम्बन्ध में उनका संतोष हो गया है कि शिकायत तथ्यों पर आधारित हैं।

2–अन्य श्रोतों/व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता से इस बारे में एक शपथ–पत्र उपलब्ध कराने तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने को कहा जाये और इसके प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही की जाये।

अग्रेतर शासनादेश संख्याः 1/2024/63/सैंतालिस–का–1–2024–13(1)/1997 दिनांक 29.01.2024 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 01.08.97 के बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसके सम्बन्ध में बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 12.03.2024 के प्रस्ताव सं0–07 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 29.01.24 में दी गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है–

(i) विशिष्ठ व्यक्तियों में केवल वर्तमान मा0 सांसदों/मा0 विधायकों को ही परिगणित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न सवैंधानिक निकायों (Statutory Body) के वर्तमान अध्यक्षों को भी विशिष्ट व्यक्तियों में परिगणित किया जायेगा।

(ii) इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अन्य शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र को उक्तानुसार वर्णित विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अग्रसारित किया जाता है तो ऐसे शिकायतकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए शिकायतों की पुष्टि हेतु समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की जायेगी।

उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्था का परिपालन करते हुये प्राप्त शिकायती प्रकरणों को अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाय।

यदि फर्जी/तथ्यहीन शिकायतों में बैंक के किसी कर्मचारी/अधिकारी की संलिप्तता पायी जाती है, तो उसके विरूद्ध कठोरतम् कार्यवाही की जायेगी।

अतः परिपत्र संख्या सी–22 दिनांक 26.11.2021 को उक्त सीमा तक सशोंधित किया जाता है।

(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त कर्मचारी/अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
2. समस्त योजनाधिकारी, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
3. निजी सचिव(सभापति कैम्प) को सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव(उप सभापति कैम्प) को उप सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
5. प्रबन्धक(आई0 टी0 सेल) को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक